हीरे जवाहरात पर ज़कात

1- जो हीरे जवाहरात व्यापार के मक़सद से ख़रीदे गए हों उनकी ज़कात उनके मालिक पर वाजिब होगी।

2- जो हीरे जवाहरात ज़ेवर (आभूषण) के लिए ख़रीदे गए हों उनकी ज़कात मालिक पर वाजिब न होगी।

3- एक राय यह पायी जाती है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी रक़म हीरे जवाहरात ख़रीदने पर ख़र्च कर देते हैं और अपनी नक़द रक़म को (जिस पर ज़कात वाजिब हो सकती है) हीरे जवाहरात से बदल कर सुरक्षित कर लेते हैं। इस स्थिति में सेमिनार में शरीक लोगों ने अलग अलग मत दिए।

एक मत यह है कि हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं हैं जिसे माल कहा गया है, और उस आदमी का काम हीरे जवाहरात ख़रीदना बेचना भी नहीं है, और न ख़रीदते वक़्त उसकी यह नीयत है कि वह उसे बेचकर माल कमाएगा, इस स्थिति में उसपर ज़कात वाजिब न होगी।

दूसरा मत यह है कि हीरे जवाहरात जीवन की आवश्यकताओं में शामिल नहीं हैं, और पूंजीपति अपनी बड़ी रक़म को हीरे जवाहरात से बदल कर सुरक्षित कर लेते हैं, और कई तरह के फ़ायदे भी हासिल करते हैं। उन्में यह भी है कि हीरे जवाहरात के रूप में उनके पास काफ़ी माल मौजूद है जब कि इस स्थिति में ज़कात के हक़दारों का नुक़सान होता है क्योंकि उस माल की ज़कात नहीं निकलती, इस स्थिति में जमा करके रखे गए हीरे जवाहरात को माल समझा जाएगा ओर उसपर ज़कात लागू होगी।

यह दोनों मत रखने वाले आलिमों और मुफ्तियों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं।

जो लोग यह मानते हैं कि इस माल पर ज़कात वाजिब होगीः

1- क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी

2- मौलाना तय्यबुर्रहमान (अमीर-ए-शरीयत असम)

3- मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान (मुम्बई)

4- मौलाना एजाज़ अहमद आज़मी

5- मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी (आज़मगढ)

6- मौलाना शम्स पीरज़ादा (मुम्बई)

7- मौलाना अनीसुर्रहमान क़ासमी (पटना)

8- मौलाना अब्दुर्रहीम (भोपाल)

9- मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान (दिल्ली)

10- मौलाना ज़ुबैर अहमद क़ासमी (सीतामढी)

11- मौलाना रफ़ीकुल मन्नान (मुबारकपुर)

12- मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद (बाराबंकी)

13- मौलाना मुहम्मद शुएब (सरायमीर)

14- मौलाना अतीक़ अहमद क़ासमी आदि

जो लोग यह नहीं मानते कि इस माल पर ज़कात वाजिब होगीः

1- मुफ्ती बुरहानुद्दीन साहब (लखनऊ)

2- मौलाना हबीबुर्रहमान ख़ैराबादी (देवबन्द)

3- मौलाना नेमतुल्लाह क़ासमी (देवबन्द)

4- मौलाना उबैदुल्लाह असअदी (बांदा)

5- मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी (हैदराबाद)

6- मौलाना नसीम अहमद क़ासमी (पटना)

7- मौलना सदरुल हसन नदवी (औरंगाबाद)

8- मौलाना मुहीयुद्दीन साहब (गुजरात) आदि।

☆☆☆